ई-1800521

संख्या-06/2025/490/52-1-2025

प्रेषक,

अनिल कुमार यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2025

विषय– केन्द्र पुरोनिधानित योजना (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि एवं समानुपातिक राज्यांश को एस०एन०ए० खाते में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-1232/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मांग-330(340479)/2025 दिनांक 03.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की धनराशि को एस0एन0ए0 में अन्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-13/49/2021-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 27.06.2025 द्वारा अवमुक्त **केन्द्रांश की धनराशि रू० 25000.00 लाख (रूपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू० 14049.630 लाख (रूपये एक अरब चालीस करोड़ उन्चास लाख तिरसठ हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू० 39049.630 लाख (तीन अरब नब्बे करोड़ उन्चास**

https://shasanadesh.up.gov.in

लाख तिरसठ हजार मात्र) को एस0एन0ए0 में निम्न विवरणानुसार अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रू0 लाख में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक		मानक मद	केन्द्रांश	राज्यांश	एस0एन0ए0 में अंतरित की जाने वाली धनराशि
1	2		3	4	5	6
48	2235-02-800-01-104-	एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में फैसिलिटेटर की नियुक्ति (के.- 100/रा.-0-के०)	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	777.300	0.000	777.300
48	4235-02-800-01-0101 4235-02-800-89-8901	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास (के0-60/रा0-40-के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	1031.670	687.780	1719.450
48	4235-02-800-01-0105 4235-02-800-89-8905	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	7077.102	4718.068	11795.170
48	4235-02-800-01-0106 4235-02-800-89-8906	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	995.520	663.680	1659.200
48	4235-02-800-01-0107 4235-02-800-89-8907	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण(के0-60/रा0-40- के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	717.150	478.100	1195.250
48	4235-02-800-01-0108 4235-02-800-89-8908-	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय जूनियर हाईस्कूलों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण(के0-60/रा0-40- के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	41.880	27.920	69.800
48	4235-02-800-01-0109	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में	24-वृहत निर्माण	759.438	506.292	1265.730

https://shasanadesh.up.gov.in

	4235-02-800-89-8909-	मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण(के0-60/रा0-40- के0+रा0)	कार्य			
48	4235-02-800-01-0110 4235-02-800-89-8910	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज यूनिट सहित सोकपिट का निर्माण (के0-50/रा0-50- के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	3111.730	895.650	4007.380
48	4235-02-800-01-0111 4235-02-800-89-8911-	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	3057.582	2038.388	5095.970
48	4235-02-800-01-0118 4235-02-800-89-8918-	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय बालिका डिग्री कालेज का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	2708.880	1805.920	4514.800
48	4235-02-800-01-0119 4235-02-800-89-8919	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत सदभाव मण्डप का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	3721.710	1561.140	5282.850
48	4235-02-800-01-0124 4235-02-800-89-8924-	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टर (के0-60/रा0-40-के0+रा0)	24-वृहत निर्माण कार्य	747.600	498.400	1246.000
48	4235-02-800-01-0125 4235-02-800-89-8925-	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) योजनान्तर्गत वर्किंग वोमेन हास्टल का निर्माण	24-वृहत निर्माण कार्य	252.438	168.292	420.730
			योग	**25000.000**	**14049.630**	**39049.630**

3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह

https://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।

3. भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी/शासन द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सम्भावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

12. पूर्व में केन्द्रांश की प्रत्याशा में योजनान्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु निर्गत राज्यांश की धनराशि का समायोजन किया जाना निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या-E-4-37-X-2025-26 दिनांक 14-7-2025** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्या-490/52-1-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
9. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार यादव)
उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in